



पत्र क्रमांक/बी.एड./ प्रवेश शुल्क/2012-13/ 1873 रायपुर दिनांक 01-06-2012

प्रति,

प्राचार्य

विषय :- शासन द्वारा जारी निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अंतिम शुल्क का निर्धारण संबंधी आदेश में आंशिक संशोधन बाबत।

संदर्भ :- 1. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक F6-23/2011/20 तीन दिनांक 27.08.11
2. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक F6-23/2011/20 तीन दिनांक 25.5.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन द्वारा दिनांक 27.08.2011 को जारी सन्दर्भित आदेश क्रमांक (1) में शासन के सन्दर्भित आदेश क्रमांक (2) द्वारा आंशिक संशोधन किया है कि उक्त आदेश के पैरा 2 में वाक्यांश "रूपये 1000/- प्रतिवर्ष प्रति छात्र विकास शुल्क तथा" को विलोपित किया जाता है। सन्दर्भित आदेश क्रमांक 2 इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आपके महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम 2011-12 में प्रवेशित अभ्यर्थियों को विकास शुल्क के मद में प्रति छात्र ली गई राशि 1000/- लौटाकर पावती की छायाप्रति परिषद में 10 जुलाई 2012 तक प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर आपके महाविद्यालय को बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2012-13 के लिए छात्र आबंटन नहीं किया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
संलग्न - उपरोक्तानुसार।


(अनिल राय)
संचालक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

पृष्ठां. क्रमांक/बी.एड./ प्रवेश शुल्क/2012-13/ 1874 रायपुर दिनांक 01-06-2012

प्रतिलिपि -

1. कुलपति, गुरुघासी दास विश्वविद्यालय बिलासपुर/पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर,/बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर/ सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर/डॉ. सी व्ही रमन विश्वविद्यालय, कोटा बिलासपुर/मेट्स विश्वविद्यालय, गुल्लु आरंग।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय डी.के.एस.भवन रायपुर
3. सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन रायपुर
4. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, बैरन बाजार, रायपुर छ.ग.
5. सचिव, प्रवेश तथा फीस विनयामक समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय परिसर, बैरन बाजार रायपुर छ.ग।
6. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।



संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

—0—
// संशोधन आदेश //

रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 6-23/2011/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21.07.2011 (सहपठित संशोधन आदेश दिनांक 27.08.2011) के पैरा-2 में अंकित वाक्यांश "रूपये 1000/- प्रतिवर्ष प्रति छात्र विकास शुल्क तथा " को विलोपित किया जाता है ।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(एम.एन.राजूरकर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 25/5/12

पृ. क्रमांक एफ 6-23/2011/20-तीन
प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर ।
 2. माननीय मुख्यमंत्री जी, के सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय रायपुर
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
 4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
 5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
 6. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
 7. सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर ।
 8. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर ।
 9. सदस्य/सचिव, प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय, तकनीकी शिक्षा संचालनालय परिसर, बैरनबाजार, रायपुर।
 10. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर ।
 11. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर ।
 12. रजिस्ट्रार, पंडित रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर ।
 13. रजिस्ट्रार, गुरुघासीदास वि.वि.कोनी, बिलासपुर ।
 14. रजिस्ट्रार, सरगुजा वि.वि.अंबिकपुर ।
 15. रजिस्ट्रार, बस्तर वि.वि. जगदलपुर ।
 16. रजिस्ट्रार, डा.सी.व्ही.रमन वि.वि. बिलासपुर ।
 17. रजिस्ट्रार, मेट्स यूनिवर्सिटी, आरंग, रायपुर ।
 18. समस्त संबंधित शिक्षा महाविद्यालय,
 19. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, रायपुर ।
 20. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग